निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 83/2021 तारीख दायरा 06.07.2021

उनवान

रामचन्द्र पुत्र श्री जगन्नाथ जाति नाथ निवासी ग्राम हींगी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
– वादी

बनाम

1. शिवकरण पुत्र श्री जगन्नाथ जाति नाथ निवासी ग्राम हींगी तहसील सांगोद।
2. राजस्थान सरकार जरिये लेंड होल्डर तहसीलदार साहब तहसील सांगोद। – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील वादीगण) दिनांक :– 05.01.2022

श्री जयवर्द्धन गौतम (वकील प्रतिवादी सं.1)

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी व प्रतिवादी कं. 1 रिश्ते में सगे भाई हैं जिनके शामलाती खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 743 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नंबर 801 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 740 रकबा 0.33 हैक्टर, खसरा नंबर 800 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 1042 रकबा 1.68 हैक्टर, खसरा नंबर 730 रकबा 0.61 हैक्टर आराजी वाके ग्राम हींगी तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है जिसमें 1/2 हिस्सा वादी का एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी कं. 1 का निहित है।

वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजी को वादी व प्रतिवादी कं. 1 आपसी सहमति से काफी समय से मौके पर पृथक–पृथक काश्त करते चले आ रहे हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.09.23 16:32:57 IST
Reason: SelfAttested

अ. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी रामचन्द्र :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
हींगी	730	0.61 में से 0.31 हैक्टर पश्चिमी
	1042	1.68 में से 0.84 हैक्टर दक्षिणी
	743	0.30 हैक्टर
	800	0.02 हैक्टर
	कुल किता 4 की	कुल 1.47 हैक्टर

ब. आराजी हिस्सा व कब्जा प्रतिवादी कं. 1 शिवकरण :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
हींगी	730	0.61 में से 0.30 हैक्टर पूर्वी
	1042	1.68 में से 0.84 हैक्टर उत्तरी
	740	0.33 हैक्टर
	801	0.02 हैक्टर
	कुल किता 4 की	कुल 1.49 हैक्टर

वादपत्र में यह भी अंकित किया गया कि वादपत्र की चरण संख्या 2 के खण्ड अ, ब के नुसार वादी व प्रतिवादी कं.1 मौके पर अपने–अपने हिस्से व कब्जेकाश्त की आराजी को थक–पृथक काश्त करते चले आ रहे हैं किन्तु खाता विभाजन नहीं होने से वादी को अपने हिस्से की आराजी पर विकास कार्य करवाने व सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में परेशानी का सामना करना पडता है। उक्त संबंध में वादी ने प्रतिवादी कं.1 से [illegible] विभाजन हेतु गत सप्ताह निवेदन किया तो उसने तहसील कार्यालय में चलकर सहमति से [illegible] विभाजन करवाने से इन्कार कर दिया जिसके कारण वादकारण उत्पन्न हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.09.23 16:32:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्टेट
सांगोद (कोटा)

अतः माल ग्राम हींगी तहसील सांगोद में स्थित वादग्रस्त आराजी का वादपत्र की चरण ख्या 2 के खण्ड अ, व के अनुसार पक्षकारान का खाता विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक तेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा लगानराज भी पृथक–पृथक किया जावे।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की ई। प्रतिवादीगण की तलबी हो चुकी है। प्रतिवादी सं.2 वावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण तिवादी सं.2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं.1 की ओर से वकील ी जयवर्द्धन गौतम द्वारा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। तदुपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं. ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता द्वारा तथा प्रतिवादी सं.1 की पहचान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनामा सरे इजलास पढकर सुनाया गया, किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गई। राजीनामा तस्दीक करने के पश्चात अधिवक्ता उभयपक्षकारान ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तथा राजीनामे के आधार पर वाद स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की। प्रकरण में इकबाली जवाब प्रस्तुत होने के कारण तनकी कायम करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। बहस वादीगण अधिवक्ता सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, इकबाली जवाब दावा, राजीनामा इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

ग्राम हींगी तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 743 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नंबर 801 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 740 रकबा 0.33 हैक्टर, खसरा नंबर 800 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 1042 रकब्रा 1.68 हैक्टर, खसरा नंबर 730 रकबा 0.61 हैक्टर आराजी में राजीनामा अनुसार निम्न प्रकार से काश्तकार घोषित किया जाता है –

अ. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी रामचन्द्र :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
हींगी	730	0.61 में से 0.31 हैक्टर पश्चिमी
	1042	1.68 [illegible] 84 हैक्टर दक्षिणी
	743	0[illegible] हैक्टर
	800	0.02 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.09.23 16:32:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

कुल किता 4 की   कुल 1.47 हैक्टर

ब. आराजी हिस्सा व कब्जा प्रतिवादी कं. 1 शिवकरण :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
हींगी	730	0.61 में से 0.30 हैक्टर पूर्वी
	1042	1.68 में से 0.84 हैक्टर उत्तरी
	740	0.33 हैक्टर
	801	0.02 हैक्टर

कुल किता 4 की   कुल 1.49 हैक्टर

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं.1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त षणा के अनुकम में राजलगान पृथक–पृथक अंकन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद या जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन र यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिकी पर्चा पृथक से जारी हो।

(उपखण्ड मजिस्ट्रेट)
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

निर्णय आज दिनांक 05.01.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.09.23 16:32:57 IST
Reason: SelfAttested

(उपखण्ड मजिस्ट्रेट)
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

फर्द डिकी मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

र्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

रण संख्या : 83/2021 तारीख दायरा 06.07.2021

उनवान

मचन्द्र पुत्र श्री जगन्नाथ जाति नाथ निवासी ग्राम हींगी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
– वादी

बनाम

1. शिवकरण पुत्र श्री जगन्नाथ जाति नाथ निवासी ग्राम हींगी तहसील सांगोद।
2. राजस्थान सरकार जरिये लेंड होल्डर तहसीलदार साहब तहसील सांगोद। – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

दिनांक :– 05.01.2022

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील वादीगण)

श्री जयवर्द्धन गौतम (वकील प्रतिवादी सं.1)

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री नरेश कुमार गौतम मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि–

ग्राम हींगी तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 743 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नंबर 801 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 740 रकबा 0.33 हैक्टर, खसरा नंबर 800 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 1042 रकबा 1.68 हैक्टर, खसरा नंबर 730 रकबा 0.61 हैक्टर आराजी में राजीनामा अनुसार निम्न प्रकार से काश्तकार घोषित किया...

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.09.23 16:32:57 IST
Reason: SelfAttested

अ. आराजी हिस्सा व रकबा वादी ग्राम ...

ग्राम ख.नं. रकबा

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

	730	0.61 में से 0.31 हैक्टर पश्चिमी
	1042	1.68 में से 0.84 हैक्टर दक्षिणी
	743	0.30 हैक्टर
	800	0.02 हैक्टर
कुल किता 4 की		कुल 1.47 हैक्टर

ब. आराजी हिस्सा व कब्जा प्रतिवादी क्रं. 1 शिवकरण :—

ग्राम	ख.नं.	रकबा
हींगी	730	0.61 में से 0.30 हैक्टर पूर्वी
	1042	1.68 में से 0.84 हैक्टर उत्तरी
	740	0.33 हैक्टर
	801	0.02 हैक्टर
कुल किता 4 की		कुल 1.49 हैक्टर

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं.1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त ाषणा के अनुक्रम में राजलगान पृथक–पृथक अंकन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद ठया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन ार यथावत रहेगा।

नेर्णय आज दिनांक 05.01.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.09.23 16:32:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

(ओठान सहिसवेत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद